

सं0 ई. 11011/27/2021-हिन्दी/186

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

सेवा भवन,
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 29 अप्रैल, 2025

परिपत्र

विषय: केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर आंतरिक शब्दावली को अपलोड किए जाने तथा राजभाषा संबंधी जानकारी के लिए "राजभाषा कॉर्नर" बनाए जाने के संबंध में।
(कार्यवृत्त की मद सं.2)

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28 मार्च, 2025 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 159वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि केंद्रीय जल आयोग में राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा समुचित कार्यान्वयन के लिए आयोग की वेबसाइट पर राजभाषा संबंधी जानकारी एवं पत्रादि के मसौदे उपलब्ध करवाने हेतु बनाए गए राजभाषा कॉर्नर का सभी क्षेत्रीय कार्यालय तथा आयोग (मुख्यालय) द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। इस संबंध में यह भी उल्लेख है कि आयोग की नव-निर्मित तकनीकी शब्दावली (आंतरिक शब्दावली) को भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जो राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज करने में अत्यंत सहायक है।



(आनंद चन्द्र मल्लिक)

निदेशक (स्थापना-3) एवं राजभाषा प्रभारी
दूरभाष- 011-29583459/ईमेल:acmallick@nic.in

केंद्रीय जल आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय (वेबसाइट के माध्यम से)।